न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 26 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. नरसिंगाराम पुत्र कुम्भाराम का मु.
   1/1निम्बाराम पुत्र नरसिंगाराम
   1/2सुरेश कुमार पुत्र देरामाराम
   1/3कृष्णकुमार पुत्र देरामाराम
   1/4रमेश कुमार पुत्र देरामाराम
   1/5ओमप्रकाश पुत्र देरामाराम
   1/6सुगणी पत्नी देरामाराम
   1/7भाखराराम पुत्र कोहलाराम
   जाति विश्नोई निवासी नेडीनाडी
   तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.सदराम पुत्र जगराम जाति विश्नोई निवासी नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
2.तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 99/2018 बअनवान सदराम बनाम नरसिंगाराम का. मु. वगै. में पारित आदेश दिनांक 26.03.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री राजेश विशनोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनिल के मेराजा रेस्पोडेंट की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 09.12.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व वाद इस आशय का पेश हुआ कि मौजा धोरीमन्ना वर्तमान मौजा नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना में खसरा संख्या 40 रकबा 193.16 बीघा प्रार्थी के दादा मिश्री वल्द भारथा के नाम से 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा मगाराम पुत्र काछबाराम के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ। प्रार्थी का जन्म वर्ष 1952 विक्रम संवत 2009 में हुआ था। प्रार्थी के पिता स्व. जगराम जो मिश्री के इकलोते पुत्र थे, मिश्री से पहले फौत हो गये। मिश्री के फौत होने पर उनके एक मात्र प्रथम श्रेणी के वारिश प्रार्थी सदराम के नाम नामांतकरण संख्या 91 दिनांक 28.09.1962 को पारित हुआ तब प्रार्थी की उम्र लगभग 10 वर्ष की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर क्या स्थिति है के बारे में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई है तथा न ही स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश पारित करना विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आराजी का अपीलांट सदभाविक काश्तकार एवं मौके पर कब्जा काश्त अपीलांट का है। अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है ओर रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अपीलांट को अपने विधिक व संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रहे है। उतरदाता संख्या 01 ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट संख्या 01 का कोई हक हिस्सा हो। उतरदाता संख्या 01 वादग्रस्त भूमि पर न तो रिकॉर्डेड खातेदार है तथा न ही किसी प्रकार का रेकर्ड उनके पक्ष में है तथा न ही उनका मौके पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त है। अपीलाधीन आराजी अकेले अपीलांटगण के कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकारों की भूमि है जिस पर वक्त खरीद वर्ष 1962 से लेकर आज दिन तक अपीलांटगण के पक्ष में संधारित हो रहा है ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में प्रमाणित है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन नहीं करते हुए पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर क्या स्थिति है के बारे में कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई है तथा न ही स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश पारित करना विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आराजी का अपीलांट सदभाविक काश्तकार एवं मौके पर कब्जा काश्त अपीलांट का है। अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है ओर रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अपीलांट को अपने विधिक व संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रहे है। उतरदाता संख्या 01 ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट संख्या 01 का कोई हक हिस्सा हो। उतरदाता संख्या 01 वादग्रस्त भूमि पर न तो रिकॉर्डेड खातेदार है तथा न ही किसी प्रकार का रेकर्ड उनके पक्ष में है तथा न ही उनका मौके पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त है। अपीलाधीन आराजी अकेले अपीलांटगण के कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकारों की भूमि है जिस पर वक्त खरीद वर्ष 1962 से लेकर आज दिन तक अपीलांटगण के पक्ष में संधारित हो रहा है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी/उतरदाता के द्वारा ही आज से करीबन 55–56 वर्ष पूर्व भूमि का बेचान अपनी कुदरती वली माता के साथ विप्रार्थीगण को किया गया ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में प्रमाणित है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन नहीं करते हुए पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आराजी को लेकर पारित नामांतकरण संख्या 91 में सदराम का नाम आया था। जबकि उसकी मां का नाम नहीं था। वादग्रस्त आराजी का बेचान 99 रू की कीमत से किया गया है जो संदेहास्पद है जिसका कारण यह है कि फर्जीवाड़ा के आधार पर किये गये बेचान को रजिस्टर्ड नहीं करवाना पड़े। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है चलते दावे में मौके पर किसी प्रकार का परिवर्तन या रदोबदल होता है या वादग्रस्त आराजी आगे से आगे बेचान होता है तो रेस्पोडेंट को अपूर्णीय क्षति कारित होना संभाव्य है। रेस्पोडेंट संख्या 01 के पिता की फौतदगी के बाद रेस्पोडेंट संख्या 01 की माता ने पुनः विवाह कर लिया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार होने से अपीलांट को अपनी खातेदारी भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु के. सी. सी., लॉन लेने के अधिकारी है इस दृष्टि से मामला पृथमदृष्टया, सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है लेकिन मूल वाद अभी भी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलाधीन वादग्रस्त आराजी में उभयपक्ष के हितों का निर्धारण वाद के निस्तारण के बाद ही तय हो सकता है उससे पहले वादग्रस्त आराजी का बेचान/हंस्तातंरण हो जाता है तो मामले में अनावश्य लिटीगेशन बढेगा। वादग्रस्त आराजी का उभयपक्ष द्वारा मौके एवं रेकर्ड की स्थिति में रदोबदल होने की पूरी आशंका है। यदि वादग्रस्त आराजी का आगे से आगे बेचान हो जाता है तो रेस्पोडेंट के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिंदु रेस्पोडेंट के पक्ष में प्रतीत होते हैं। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 99/2018 बअनवान सदराम बनाम नरसिंगाराम का. मु. वगै. में पारित आदेश दिनांक 26.03.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश दिये जाते है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर कृषि कार्य करने हेतु के.सी.सी., लॉन लेने की छूट दी जाती है। तथा अपीलांट को जरिये अस्थाई व्यादेश पाबंद किया जाता है कि वे मामले के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी बेचान/हस्तांतरण नहीं करे एवं उभयपक्ष मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

09/12/19

(नाथूसिंह सवाऊ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner